

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 1 PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 70]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 30, 2001 / पौष 9, 1923

No. 701

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 30, 2001 / PAUSA 9, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Legislative Department)

New Delhi, the 30th December, 2001/Pausa 9, 1923 (Saka)
THE PASSPORTS (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE, 2001

No. 11 of 2001

Promulgated by the President in the Fifty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Passports Act, 1967.

WHEREAS the Passports (Amendment) Ordinance, 2001 was promulgated by the President on the 23rd day of October, 2001;

AND WHEREAS the Passports (Amendment) Bill, 2001 for replacing the said Ordinance was introduced in the Council of States and is pending in the Council of States;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to give effect to the provisions of the said Bill with certain modifications;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Passports (Amendment) Second Ordinance, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd day of October, 2001.

Short title and commencement. Insertion of new sections 10A and 10B.

2. After section 10 of the Passports Act, 1967 (hereinafter referred to as the 15 of 1967. principal Act), the following sections shall be inserted, namely:-

Suspension of passports or travel documents in certain cases.

- '10A. (1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 10, if the Central Government or any designated officer is satisfied that the passport or travel document is likely to be impounded or caused to be impounded or revoked under clause (c) of sub-section (3) of section 10 and it is necessary in the public interest so to do, it or he may,
 - (a) by order, suspend, with immediate effect, any passport or travel document:
 - (b) pass such other appropriate order which may have the effect of rendering any passport or travel document invalid,

for a period not exceeding four weeks:

Provided that the Central Government or the designated officer may, if it or he considers appropriate, extend, by order and for the reasons to be recorded in writing, the said period of four weeks till the proceedings relating to variation, impounding or revocation of passport or travel document under section 10 are concluded:

Provided further that every holder of the passport or travel document, in respect of whom an order under clause (a) or clause (b) of this sub-section had been passed, shall be given an opportunity of being heard within a period of not later than eight weeks reckoned from the date of passing of such order and thereupon the Central Government may, if necessary, by order in writing, modify or revoke the order passed under this sub-section.

- (2) The designated officer shall immediately communicate the orders passed under sub-section (1), to the concerned authority at an airport or any other point of embarkation or immigration, and to the passport authority.
- (3) Every authority referred to in sub-section (2) shall, immediately on receipt of the order passed under sub-section (1), give effect to such order.

Validation of intimations.

10B. Every intimation given by the Central Government or the designated officer, before the commencement of the Passports (Amendment) Second Ordinance, 2001, to any immigration authority at an airport or any other point of embarkation or immigration, restricting or in any manner prohibiting the departure from India of any holder of the passport or travel document under sub-section (3) of section 10, shall be deemed to be an order under sub-section (1) of section 10A and such order shall continue to be in force for a period of three months from the date of commencement of the Passports (Amendment) Second Ordinance, 2001 or the date of giving such intimation, whichever is later.

Explanation.- For the purposes of sections 10A and 10B, the expression "designated officer" means such officer or authority designated, by order in writing, as such by the Central Government.'.

Ord. 8 of 2001.

3. (1) The Passports (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Ordinance.

K. R. NARAYANAN, President.

SUBHASH C. JAIN, Secy. to the Govt. of India. भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-॥ खंड-।

प्राधिकार से प्रकाशित

विधि, न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 2001

पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001

2001 की संख्या. 11

राष्ट्रपति द्वारा भारतीय गणतंत्र के बावनवें वर्ष में प्रख्यापित किया गया।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में आगे संशोधन के लिए अध्यादेश।

यत राष्ट्रपति जी द्वारा पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 23 अक्तूबर, 2001 को प्रख्यापित किया गया था;

तथा यत उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य सभा में पासपोर्ट (संशोधन) 2001 लाया गया था और राज्य सभा में लंबित है;

और जबिक संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपित इस बात से संतुष्ट हैं कि कतिपय संशोधनों के साथ उक्त विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई को आवश्यक बनाती हैं;

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अध्यादेश को सहर्ष प्रख्यापित करते हैं:-

1. (1) यह अध्यादेश पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम और संप्रवर्तन

नई धारा 10 क और 10ख का

(2) इसे 23 अक्तूबर, 2001 को लागू हुआ माना जाएगा।

अंतर्वेशन

2. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (जिसका इसके आगे 1967 के 15 के रूप में उल्लेख किया गया है) की धारा 10 के उपरांत निम्नलिखित धाराओं को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

1967 का 15

कतिपय मामलों में पासपोर्टों और यात्रा दस्तावेज़ों का निलंबन 10 क. (1) धारा 10 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि केंद्रीय सरकार अथवा कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को धारा 10 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है अथवा जब्त कराया जा सकता है अथवा रद्द किया जा सकता है और ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तो वह अधिक-से-अधिक चार सप्ताह की अविध के लिए,-

- (क) आदेश जारी करके किसी भी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सकता है;
- (ख) ऐसा कोई अन्य समुचित आदेश पारित कर सकता है जो किसी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को अवैध कर सके,

परन्तु केंद्रीय सरकार अथवा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि यथोचित समझे तो आदेश जारी करके और लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से चार सप्ताह की उक्त अवधि को धारा 10 के अंतर्गत पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ में अंतर, जब्ती अथवा रद्दीकरण से संबंधित कार्यवाही पूरी होने तक बढ़ा सकता है:

परन्तु और कि प्रत्येक पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज धारक जिसके संबंध में इस उप-धारा के खंड (क) अथवा खंड (ख) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, को ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से आठ सप्ताह की अविध के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और तदुपरांत केंद्रीय सरकार, यदि आवश्यक हो, लिखित आदेश द्वारा इस उप-धारा के अंतर्गत पारित किए गए आदेश में संशोधन कर सकती है अथवा उसे रह कर सकती है।

(2) नामनिर्दिष्ट अधिकारी उपधारा (1) के तहत पारित आदेश किसी हवाई अड्डे अथवा किसी अन्य प्रवेश बिन्दु अथवा आप्रवासन बिंदु पर संबंधित प्राधिकारी को

तथा पासपोर्ट प्राधिकारी को तत्काल संसुचित करेगा।

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकारी उपधारा (1) के तहत पारित आदेश प्राप्त होने के तत्काल बाद इसे लागू करेगा।

सूचनाओं का वैधीकरण

10 ख. पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001 लागु होने से पहले केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किसी हवाई अड्डे पर किसी आप्रवासन प्राधिकारी या बहिर्गमन या आप्रवासन के किसी अन्य बिंदु पर दी गई प्रत्येक सूचना जो धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ के किसी धारक के भारत से प्रस्थान करने को रोकती हो या उसे किसी तरह प्रतिबंधित करती हो को धारा 10 (क) की उप-धारा (1) के अधीन आदेश माना जाएगा और ऐसा आदेश पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001 के लागू होने की तारीख या ऐसी सूचना दिए जाने की तारीख, जो बाद में हो, से तीन माह की अवधि तक लागू रहेगा।

2001 अध्यादेश 8

स्पष्टीकरण – धारा 10 क तथा 10 ख के प्रयोजनार्थ "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" का निरसन और का आशय केंद्र सरकार द्वारा लिखित में जारी आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी व्यावृत्तियाँ अथवा प्राधिकारी है।

- 3. (1) पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को एतत् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के वाबजूद उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अंतर्गत की गई समझी जाएगी।

के.आर. नारायणन. राष्ट्रपति

स्भाष सी. जैन, सचिव, भारत सरकार